कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 /

दिनांक–

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद्, रक्सौल
जिला– पश्चिम चंपारण

महाशय,

नगर परिषद, रक्सौल के वर्ष 2014–15 से 2016–17 के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 1162 / 17–18 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती निरीक्षण प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14748 / 108 दिनांक– 16-7-18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, पश्चिम चंपारण

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना

निरीक्षण प्रतिवेदन सं.– 1162 / 17–18

सामाजिक प्रक्षेत्र–I

भाग–I

प्रस्तावना

1	निरीक्षित कार्यालय का नाम:	नगर परिषद, रक्सौल, पूर्वी चंपारण
2	कार्यालय प्रधान का नाम एवं पदनाम:	श्रीमती रीता कुमारी, कार्यपालक पदाधिकारी
3	लेखा की अवधि	2014–15 से 2016–17
4	लेखापरीक्षा की तिथि:	15.01.18 से 02.02.18 तक
5	लेखापरीक्षा दल के सदस्य:	श्री गौरव प्रकाश, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी श्री प्रमोद रंजन, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी श्री विकास कुमार–1, वरीय लेखापरीक्षक
6	निरिक्षण अधिकारी का नाम	----
7	लेखापरीक्षा का क्षेत्र:	लेखापरीक्षा में सामान्य रोकड़बही कोषागार रोकड़बही, सहायक रोकड़बहियां, बैंक पासबुक / स्टेटमेंट, योजना पंजी एवं योजना संचिकायें, क्रय से संबंधित संचिकायें, क्षेत्रान्तर्गत सफाई से संबंधित संचिकायें एवं भुगतान अभिश्रवों इत्यादि की जांच की गई। माह नवम्बर 2014, अगस्त 2015 तथा जून 2016 की विस्तृत जांच की गई।
8	पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन में लंबित कंडिकाओं की वर्तमान स्थिति	जवाब में बताया गया कि शीघ्र प्रेषित किया जायेगा।
9	क्या कार्यालय प्रधान से विचार विमर्श किया गया था?	हाँ, कार्यपालक पदाधिकारी के साथ दिनांक 02.02.2018 को विचार–विमर्श किया गया।

दावा अस्वीकरण प्रमाण पत्र

DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन नगर परिषद्, रक्सौल, पूर्वी चंपारण द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना लेखापरीक्षित इकाई/ कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

भाग–।।
खंड–क

कंडिका– 1(क) दस्तावेजों का अप्रस्तुतिकरण

नगर परिषद रक्सौल का लेखा परीक्षा कार्य दिनांक 02/02/2018 को समाप्त होना प्रस्तावित था। परन्तु निम्नलिखित दस्तावेजों को उक्त तिथि तक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

1. वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक के अम्बेदकर बस पड़ाव शुल्क वसूली कार्य बड़ी एवं छोटी मोटर सवारी वाहन सैरात का विभागीय वसूली से संबंधित रसीद बुक (पूर्ण रूप से), भंडार पंजी, दैनिक संग्रहण पंजी तथा जमा से संबंधित दस्तोवज।

2. कर संग्राहक श्री पंकज कुमार सिंह का निम्नलिखित होल्डिंग टैक्स वसूली रसीद

क्र0सं0	होल्डिंग रसीद सं0	दिनांक
1	8601 से 8700	31/03/2017
2	9001 से 9100	15/04/2017
3	9701 से 9800	19/08/2017
4	201 से 300	08/12/2017

3. कर संग्राहक श्री चन्देश्वर बैठा का निम्नलिखित होल्डिंग टैक्स वसूली रसीद

क्र0सं0	होल्डिंग रसीद सं0	दिनांक
1	8301 से 8400	01/04/2017

जवाब दिया गया कि

1.) वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक के सैरातों की विभागीय वसूली से सबंधित रसीद बुक, भण्डार पंजी, दैनिक संग्रह पंजी तथा जमा से संबंधित दस्तावेज अंकेक्षण दल को उपलब्ध करा दिया गया है।

2.) कर संग्राहक पंकज कुमार सिंह की अचानक तबियत खराब होने की वजह से रसीद अंकेक्षण दल को प्रस्तुत नहीं कर पाये। तबियत सुधार होने के उपरान्त निम्नलिखित रसीद की जाँच कर अंकेक्षण दल को दिखा जाएगा।

3.) कर संग्राहक श्री चन्देश्वर बैठा छुट्टी पर चले जाने के कारण रसीद अंकेक्षण दल को प्रस्तुत नहीं कर पाये है। कार्यालय में आने के उपरान्त रसीद अंकेक्षण दल को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

अप्रस्तुत दस्तावेजों/अभिलेखों को अगले लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत किया जाय।

(ख) उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित अभिलेखों /पंजियों/दस्तावेजों को लेखापरीक्षा में जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया:–

1. Cash book of Shade Scheme
2. Bill Book and Remittance Register with copy of challan

3. No. and series of cheque books issued by bank in respect of each bank A/c
4. No. and series of cheque book issued by bank in respect of P.D. A/c and P.L. A/c
5. Stock Register of money receipts/cheque books
6. Bank Reconciliation Statement
7. Register of Demand Draft received from other offices/authority
8. Advance Register
9. Budget Control Register/Allotment Register
10. Office copies of TA/Medical/LTC bills and Pay Bill Register
11. Guard File relating to orders/instructions/letters/circulars
12. Log Books: History Sheet of Govt. Vehicles, generator, photocopy machine etc.
13. Income and Expenditure Statement in the prescribed format
14. Grant Sanction letters
15. List of all NGOs engaged by the department or its field offices to carry out work of the department directly or indirectly and obtain and make available a copy of Contract agreement/Memorandum of Understanding (MOUs) entered with those NGOs
16. Allotment and Expenditure during last five years
17. Report relating to internal Audit or Inspection by high level authority
18. Documents/Records not produced in the previous audit
19. Charge list submitted by previous custodian of records/documents
20. Surrender Report of audited period
21. GPF/EPF A/cs, leave A/cs, pay fixation sheet
22. Record/Register along with vouchers
23. Details of cheques in transit
24. Records relating to sell/auction/lease/rent/license fee/settlements/securities/bond/investment etc
25. Expenditure Report/Utilization Certificate
26. Settlement Register
27. Minutes of Meetings of General Body and Empowered standing committee
28. Assest Register
29. Mobile Tower files
30. Trade license files
31. Advertisement files
32. Demand and Collection of Holdings
33. Service Books with Leave accounts and personal Files.
34. Log book of vehicles, Generators, Photo copies machines and computers.
35. History register of (1) vehicles (2) Generators (3) Type writers (4) Photo copy machines (5) Computers.
36. Cheque Books and cheque issue register.
37. Counter foils of cheques.
38. Expenditure Control Register.
39. Contingent register with vouchers.
40. Attendance Register.
41. Pension and leave salary contribution registers.
42. Income Tax files.
43. Liveries Accounts.

44. Stationery Account (receipt and distribution).
45. Stock Register in respect of dustbins, laptops, tablets, fogging machines etc.

In addition to above mentioned records the following information was also not furnished to Audit.

i. Statement of Allotment and expenditure for the last three years
ii. Statement of outstanding advance up to date.
iii. Previous charges report of DDO if any.
iv. Detatils of unadjusted vouchers.
v. Details of J. Amt. (Allotment).

उक्त के संबंध में कोई जवाब कार्यालय द्वारा नहीं दिया गया।

अप्रस्तुत दस्तावेजों/अभिलेखों को अगले लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत किया जाय।

कंडिका 2. सैरात बंदोबस्ती की राशि जमा नहीं रू0 4.00 लाख

नगर परिषद्, रक्सौल द्वारा वर्ष 2014–15 से वर्ष 2016–17 की अवधि के उपलब्ध कराये गये सैरात संबंधी संचिकाओं के जांच के क्रम में पाया गया कि उक्त अवधि में निम्नलिखित सैरात की बंदोबस्ती नहीं कर इसकी विभागीय वसूली की गई :–

क्र. सं.	वर्ष	सैरात का नाम	विभागीय वसूली की राशि	विभागीय अभिकर्ता का नाम एवं पदनाम	जमा का विवरण खाता सं0 एवं बैंक का नाम
2	2015–16	अम्बेदकर बस पड़ाव शुल्क वसूली कार्य बड़ी एवं छोटी मोटर सवारी वाहन	400000	श्री रामनरेश प्रसाद कुशवाहा, टंकक–सह–प्रभारी स्वच्छता निरीक्षक	उपलब्ध नहीं
		कुल	400000		

संबंधित राशि का इन्द्राज रोकड़ बही में नहीं किया गया। इस राशि को बैंक में जमा नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षित इकाई द्वारा इस आपत्ति का कोई जवाब नहीं दिया गया था।

स्पष्टतः राशि को जमा नहीं करना अनियमित है तथा गबन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

भाग–।।

खंड– ख

कंडिका 3. सशक्त स्थायी समिति के प्रस्ताव के विपरीत एकरारनामा करने से भू–स्वामी को रू0 0.50 लाख का अधिक भुगतान

वर्ष 2016–17 की सैरात बंदोबस्ती संबंधी संचिका के अवलोकन में अम्बेदकर बस पड़ाव से संबंधित निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए:–

1. नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत घोड़ासहन नहर के दक्षिणी तटबंध के बगल में वार्ड सं0 19/24 में अवस्थित 11 कट्ठे के एक जमीन के भू स्वामी श्रीमति तारा देवी, पत्नी– श्री श्याम बिहारी प्रसाद एवं श्री श्याम बिहारी प्रसाद पिता– स्व0 बादोलाल प्रसाद, ग्राम– भेड़िहारी, थाना– आदापुर, जिला–पूर्वी चम्पारण एवं कार्यपालक पदाधिकारी, तत्कालीन नगर पंचायत, रक्सौल के बीच उक्त जमीन पर बस पड़ाव (अम्बेदकर बस पड़ाव) रखने हेतु दिनांक 08.08.2006 को

10 वर्षों के लिए एकरारनामा किया गया। एकरारनामा के अनुसार बन्दोबस्ती से प्राप्त आय का 60 प्रतिशत राशि भू–स्वामी को तथा 40 प्रतिशत राशि तत्कालीन नगर पंचायत, रक्सौल को दिया जाना था।

2. सशक्त स्थायी समिति की बैठक दिनांक 18.01.2016 को पारित प्रस्ताव सं0 02 के आलोक में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, रक्सौल के पत्रांक 70 दिनांक 13.02.2016 के द्वारा भू–स्वामी को दिनांक 07.08.2016 के प्रभाव से एकरारनामा की अवधि समाप्त होने एवं दिनांक 31.03.2016 की मध्य रात्रि से उक्त भूमि से बस पड़ाव हटा लिये जाने की सूचना निर्गत की गई।
3. दिनांक 24.02.2016 को भू–स्वामी के द्वारा एकरारनामा को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाने हेतु आवेदन दिया गया।
4. सशक्त स्थायी समिति की बैठक दिनांक 15.02.2016 को पारित प्रस्ताव सं0 02 के आलोक में पुनः संशोधित पार्टनरशीप 55–45 प्रतिशत के अनुपात में 2016–17 से 2018–19 के लिए बस पड़ाव उक्त भू–स्वामी के भूमि से संचालित करने का निर्णय लिया गया जिसकी सूचना कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, रक्सौल के पत्रांक 131 दिनांक 14.03.2016 के द्वारा भू–स्वामी को दी गई।
5. तद्नुसार दोनों पक्षों के बीच दिनांक 31.03.2016 को वर्ष 2016–17 से 2018–19 की अवधि के लिए एकरारनामा किया गया जिसके अनुसार बन्दोबस्ती से प्राप्त आय का 55 प्रतिशत राशि भू–स्वामी को तथा 45 प्रतिशत राशि नगर परिषद, रक्सौल को दिया जाना था।
6. वर्ष 2016–17 की बंदोबस्ती हेतु किसी भी डाकवक्ता के नहीं आने के फलस्वरूप बस पड़ाव से विभागीय वसूली की गई जिसमें टिप्पणी पृष्ठ सं0 9 के अनुसार कुल 1000000 की प्राप्ति हुई। इस राशि में से कुल रू0 550000 भू–स्वामी को दिया गया जिसका विवरण निम्नवत है:–

क्रम सं0	चेक सं0	दिनांक	राशि	अभियुक्ति
1.	224452	15.06.2016	150000	बस पड़ा में मरम्मति कार्य हेतु अग्रिम के रूप में
2.	224453	15.06.2016	150000	बस पड़ा में मरम्मति कार्य हेतु अग्रिम के रूप में
3.	224460	12.04.2017	125000	
4.	719001	12.04.2017	125000	
		कुल	550000	

लेखापरीक्षा आपति

1. टिप्पणी पृष्ठ सं0 2 के अनुसार नगर परिषद को सशक्त स्थायी समिति की बैठक दिनांक 15.02.2016 के प्रस्ताव सं0 02 में पूर्व के जमीन पर अम्बेदकर बस पड़ाव मात्र एक वर्ष के लिए डाक की राशि का 50–50 प्रतिशत पर रखने हेतु स्वीकृति दी गई परन्तु इसके विपरीत नगर परिषद कार्यालय द्वारा दिनांक 31.03.2016 को वर्ष 2016–17 से 2018–19

की अवधि के लिए अर्थात तीन वर्षों के लिए एकरारनामा किया गया जिसके अनुसार बन्दोबस्ती से प्राप्त आय का 55 प्रतिशत राशि भू–स्वामी को तथा 45 प्रतिशत राशि नगर परिषद, रक्सौल को दिया जाना था। तद्नुसार वितीय वर्ष 2016–17 में उक्त बस पड़ाव से प्राप्त कुल राशि रू0 1000000 का 55 प्रतिशत अर्थात् रू0 550000 रू0 भू–स्वामी को दिया गया। सशक्त स्थायी समिति के उक्त प्रस्ताव के अनुसार भू–स्वामी को 50 प्रतिशत अर्थात् रू0 500000 दिया जाना चाहिए था। इस प्रकार भू–स्वामी को रू0 50000 का अधिक भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त एकरारनामा एक वर्ष के बजाय तीन वर्षों की अवधि के लिए किया गया।

2. बिहार कोषागार संहिता के अनुसार केवल सरकारी कर्मचारियों को विभागीय प्रयोजन के लिए अस्थाई अग्रिम दी जाती है। एक व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी नहीं है उसे रू0 300000 का अग्रिम बस पड़ाव की मरम्मति कार्य हेतु दिया जाना अनियमित था।
3. दिनांक 13.02.2016 को एकरारनामा समाप्त करने के निर्णय से भू–स्वामी को अवगत कराया गया तथा सशक्त स्थायी समिति की बैठक दिनांक 15.02.2016 को पारित प्रस्ताव सं0 02 के आलोक में पुनः बस पड़ाव उक्त भू–स्वामी के भूमि से संचालित करने का निर्णय लिया गया जबकि दिनांक 24.02.2016 को भू–स्वामी के द्वारा एकरारनामा को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाने हेतु आवेदन दिया गया।

जवाब में बताया गया कि जाँचोपरान्त जवाब दिया जाएगा।

उक्त अनियमितताओं के संबंध में जवाब प्रेषित किया जाय।

कंडिका 4. डोर–टू–डोर कचरा संग्रह हेतु उपभोक्ता शुल्क की वसुली नहीं रू0 28.18 लाख

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 128 में ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के लिए नगरपालिका को उपभोक्ता शुल्क की उगाही करने का प्रावधान किया गया है जबकि धारा 228 में गलियों में किसी ठोस अवशिष्ट को ढेर लगाने या फेंकने के कारण दंड का भी प्रावधान किया गया है। उक्त प्रावधान के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना सं0– 3/UIG रिफार्म्स 10/2012–1251 दिनांक 12.07.2013 के द्वारा नगरपालिका क्षेत्रों में ठोस अवशिष्ट प्रबंधन हेतु उपभोक्ता शुल्क निर्धारित किया गया है। उपभोक्ता शुल्क की वसूली हेतु उपभोक्ता की श्रेणी को चार कोटि– (क) आवासीय (ख) गैर आवासीय (ग) स्वास्थ्य सेवा संस्थान (केवल गैर बायो–मेडिकल वेस्ट) एवं (घ) अन्य में बांटी गयी है। इनके लिए उपभोक्ता शुल्क की दरें अलग–अलग निर्धारित की गयी है। उक्त प्रावधान के आलोक में नगर परिषद क्षेत्र में ठोस अवशिष्ट प्रबंधन हेतु उपभोक्ता शुल्क निर्धारित किया गया है जो निम्न प्रकार है–

क्रम सं0	उपभोक्ता की श्रेणी	न्यूनतम मासिक शुल्क रूपये में
क	आवासीय	
I	आवासीय घर	25
II	मलिन एवं गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी के आवास	शून्य
ख	गैर आवासीय	
I	फूटपाथी दुकान	शून्य
II	दुकान, खानपान के स्थान/ढावा/मिठाई की दुकान/काफी हाउस इत्यादि	75
III	रेस्टूरेंट, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, हॉस्टल	250
IV	सितारा होटल या उसके समतुल्य होटल	5000
V	व्यवसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक ,बीमा कार्यालय, कोचिंग क्लासेस, शैक्षणिक संस्थान	250
ग	स्वास्थ्य सेवा संस्थान, ¼केवल गैर बायो मेडिकल वेस्ट½	
I	क्लीनिक, डिस्पेंषरी, लेबोरेटरीज	150
II	अस्पताल ¼ 50 शय्या तक½	1200
III	अस्पताल ¼ 50 शय्या से अधिक½	2000
घ	अन्य	
I	धार्मिक स्थल	शून्य
		आकलन के अनुसार
II	निगम क्षेत्र में स्थित लघु और कुटीर उद्योग, वर्कषॉप ¼ केवल गैर खतरनाक½ अवषिष्ट 10 कि.ग्रा. प्रतिदिन	300
III	गोदाम, कोल्ड स्टोरेज¼केवल गैर खतरनाक अवशिष्ट½	750
IV	शादी हॉल, उत्सव हॉल प्रदर्षनी एवं मेला	1500
V	अन्य, जो उपर चिन्हित नहीं के	नगरपालिका के आकलन के अनुसार

इसके अतिरिक्त उक्त अधिसूचना में सड़क के किनारे अवशिष्ट/कचरा जमा करने पर निम्नलिखित दर से जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है–

1. आवासीय मकानों से रू0 100/– प्रति घटना
2. भवन निर्माण सामग्री/मलवा सड़क किनारे रखने पर – रू0 1000/– प्रति घटना एवं मलवा हटाने का वास्तविक व्यय
3. जुर्माना जमा नहीं करने पर 15 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज वसूलनीय होगा।
4. सभी प्रभार/शुल्क/दण्ड सम्पत्ति कर के बकाया के रूप में वसूलनीय होगा।

नगर परिषद रक्सौल द्वारा नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत होल्डिंग को उपर्युक्त चार श्रेणियों में विभाजित कर आंकड़ा तैयार नहीं किया गया था। नगर परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों/अभिलेखों के अनुसार परिषद अंतर्गत कुल होल्डिंग की संख्या निम्नवत थी:–

क्रम सं0	वर्ष	कुल होल्डिंग की सं0
1	2014–15	7112
2	2015–16	7513
3	2016–17	7652

सरकारी भवनों की संख्या 42 थी।

डोर–टू–डोर कचड़ा संग्रहण सूचिका के अवलोकन में पाया गया कि फरवरी 2016 से नगर परिषद, रक्सौल द्वारा 25 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा उठाव का कार्य एक गैर सरकारी संगठन जीवन ज्योति सौताडीह, बांका के माध्यम से कराया जा रहा था। परन्तु उपभोक्ता शुल्क की वसूली नहीं की जा रही थी। सरकारी भवनों के लिए निर्धारित शुल्क रू0 250 प्रतिमाह एवं आवासीय उपभोक्ता की श्रेणी के लिए निर्धारित न्यूनतम दर रू0 25 प्रतिमाह की दर से गणना करने पर पाया गया कि नगर परिषद को फरवरी 2016 से मार्च 2017 की 14 माह की अवधि में रू0 2818250 के राजस्व की हानि हुई जिसका विवरण निचे दिया गया है:–

क्रम सं0	वर्ष	कुल होल्डिंग की सं0	रू0 25 प्रति माह प्रति होल्डिंग की दर से प्राप्त होने वाली राशि जो प्राप्त नहीं की गई	सरकारी भवनों की सं0	रू0 250 प्रति माह प्रति होल्डिंग की दर से प्राप्त होने वाली राशि जो प्राप्त नहीं की गई
2	2015–16	7513	7513×2×25 =375650	42	42×2×250=21000
3	2016–17	7652	7652×12×25=2295600	42	42× 12×250=126000
		कुल	2671250		147000

कुल अप्राप्त उपभोक्त शुल्क की राशि= 2671250+147000= 2818250

सड़क के किनारे अवशिष्ट/कचरा जमा करने पर राज्य सरकार की अधिसूचना के आलोक में नगर परिषद द्वारा जुर्माना वसूल किये जाने के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया।

जवाब में बताया गया कि कचरा संग्रहण का कार्य आउटसोर्स किया गया है तथा जीवन ज्योति सौताडीह, बांका के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। उपभोक्ता शुल्क वसुलने की जिम्मेवारी उस संस्था की है। बिहार नगरपालिका अधिनियम संशोधित – 2014 के आलोक में बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पारित करा कर परिषद् क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित होल्डिंगों को विभाजित किया जाएगा।

कार्यालय के द्वारा दिया गया जवाब मान्य नहीं है क्योंकि नगर विकास एवं आवास विभाग ने पहले ही अधिसूचना सं0– 3/UIG रिफार्म्स 10/2012–1251 दिनांक 12.07.2013 के द्वारा नगरपालिका क्षेत्रों में ठोस अवशिष्ट प्रबंधन हेतु उपभोक्ता शुल्क निर्धारित कर वसुलने का आदेश निर्गत कर दिया है। अतः उपभोक्ता शुल्क वसूलने की जिम्मेवारी नगर परिषद की है।

नगर विकास एवं आवास विभाग के आदेष का पालन नही करने के कारण नगर निगम को राशि रू. 2818250 की हानि हुई। हानि की भरपाई के लिए सकारात्मक कदम उठाये जाए एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत करायी जाय।

कंडिका 5. रोकड़पाल द्वारा राशि का रोकड़बही में इन्द्राज/बैंक में जमा नहीं किया जाना

रू0 0.34 लाख

कर संग्राहक श्री पंकज कुमार सिंह एवं श्री श्रवण कुमार श्रीवास्तव द्वारा एच0आर0 से वसूली गयी राशि मो0– 34086.00 रोकड़पाल श्री चन्देश्वर बैठा को जमा किया गया था। रोकड़पाल द्वारा इस राशि के विरूद्ध एम0आर0 सं0 2772 एवं 2773 जारी की गयी थी। उक्त राशि को रोकड़पाल श्री बैठा

द्वारा रोकड़बही में इन्द्राज नहीं किया गया था एवं राशि मो0– 34086.00 को बैंक में नहीं जमा किया गया था। जिसका विवरणी निम्न है –

क्र0सं0	कर संग्राहक का नाम	एच0आर0 द्वारा वसूली गयी राशि	रोकड़पाल के पास जमा राशि (एम0आर0नं0 / दिनांक)
1	श्री पंकज कुमार सिंह	1380.00	2772 / 25.08.17
2	श्री श्रवण कुमार श्रीवास्तव	32706.00	2773 / 26.08.17
	कुल	34086.00	

अतः रोकड़पाल श्री चन्देश्वर बैठा, रोकड़पाल द्वारा प्राप्त राशि को रोकड़बही में इन्द्राज नहीं / बैंक में जमा नहीं किया गया था।

जवाब दिया गया कि श्री चन्देश्वर बैठा से राशि जमा करवाने की कार्रवाई की जा रही है।

जमा का साक्ष्य, अनुपालन हेतु लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित किया जाय।

कंडिका 6. लेखापरीक्षा आपति पर जमा राशि रू0 0.016 लाख

कर संग्राहक श्री श्रवण कुमार श्रीवास्तव द्वारा एच0 रसीदों के माध्यम से वसूल की गयी राशि को दैनिक वसूली पंजी में कम इन्द्राज किया गया। बैंक में इस राशि को जमा नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा के आपति पर इस राशि को निम्न रूप में जमा किया गया था–

कम सं0	एच0आर0 सं0 / दिनांक	एच0आर0 से वसूली गयी राशि	दैनिक वसूली पंजी में जमा की गयी राशि	कम जमा राशि	जमा का विवरण
1	5400 / 18.03.15	184	154	30	भारतीय स्टेट बैंक, रक्सौल के खाता सं0 32679315138 में दिनांक 02.02. 2018 को जमा किया गया।
2	4803 / 30.03.16	3980	3938	42	
3	7710 / 21.03.17	1764	1464	300	
4	8503 / 20.08.17	87	80	7	
5	8504 / 31.03.17	457	420	37	
6	8592 / 17.05.17	122	120	2	
7	8598 / 03.06.17	1181	00	1181	
		7775	6176	1599	

कंडिका 7. राजस्व प्राप्ति की राशि नगर निगम कोष से लंबी अवधि तक बाहर रखना

रू0 82.61 लाख

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम– 22(1) के अनुसार प्राप्त अभिकरों को नगरपालिका के कोषागार खाता या राष्ट्रीय बैंक खाता में उसी दिन या उसके दूसरे कार्य दिवस के दोपहर तक अवश्य हीं जमा की जानी चाहिए। कर संग्राहक अपन सारे संग्रहण राशि को दैनिक रूप से कैशियर के पास जमा करेंगे जो संग्रहत राशि को अधिकृत बैंकों में जमा कर देंगे।

नगर परिषद रक्सौल द्वारा उपरोक्त नियमावली का पालन नहीं किया गया था। रोकड़पाल श्री मदन कुमार सिंह द्वारा कर संग्राहकों से प्राप्त अभिकरों को नगरपालिका के कोषागार खाता या राष्ट्रीयकृत बैंक में नियमानुसार जमा न कर नगद के रूप में रखा जा रहा था। विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– । संलग्न है।

विवरणी से स्पष्ट है कि रोकड़पाल द्वारा प्राप्त अभिकरों की राशि 8261380.00 को कुल 7 दिनों से 173 दिनों की अवधि में जमा किया जा रहा था।

जवाब दिया गया कि अंकेक्षण दल के द्वारा दिये गये दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए अब दैनिक रूप से उसी दिन या उसके कार्यदिवस के दोपहर तक निश्चित रूप से राशि जमा करा दी जाएगी।

अतः लेखापरीक्षित इकाई द्वारा आपत्ति के विरूद्ध भविष्य में ध्यान रखे जाने का आश्वासन मात्र दिया गया है। कुल रू0 82,61,380 की राशि को इतनी लंबी अवधि तक बैंक में जमा न कर, नगद के रूप में रोकड़पाल द्वारा रखा जाना गंभीर मामला है। कार्यपालक पदाधिकारी रक्सौल से अपेक्षित है कि स्वयं क स्रोतों से प्राप्त राशि का ससमय जमा सुनिश्चित करें।

कंडिका 8. डोर–टू–डोर कचड़ा संग्रहण कार्य में अनियमितता

डोर–टू–डोर कचड़ा संग्रहण से संबधित सहिका के अवलोकन में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए–

1. नगर परिषद, रक्सौल अंतर्गत सभी 25 वार्डों में ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के तहत डोर–टू–डोर कचरा संग्रहण एवं सफाई व्यवस्था के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं से अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना का प्रकाशन दैनिक समाचर पत्र प्रभात खबर एवं दैनिक जागरण में दिनांक 02.01.2016 को किया गया। निविदा डालने की अंतिम तिथि दिनांक 18.01.2016 थी एवं उसी तिथि को अपराह्न 4.00 बजे निविदा खोला जाना था। निविदा के आलोक में तीन निविदादाताओं ने निविदा डाली।
2. तीनों निविदादाताओं की तुलनात्मक विवरणी दिनांक 18.01.2016 को तैयार की गई एवं निम्न दर समर्पित करने वाले एन0जी0ओ0 जीवन ज्योति सौतादीह, बांका का चयन डोर–टू–डोर कचरा संग्रहण एवं सफाई व्यवस्था के लिए किया गया। तीनों संस्थाओं द्वारा दिया गया दर निम्न प्रकार से है:–

क्रम सं0	एन0जी0ओ0 का नाम	डोर–टू–डोर कचरा संग्रहण का दर	सफाई कार्य का दर
1	Jeevan Jyoti Soutadih, Banka	32682	42825
2	Jan Kalyan Seva Sansthan, Navadih, Banka	36500	50000
3	Social Institute for Weaker Section, Anisabad, Patna	35000	51000

Jan Kalyan Seva Sansthan, Navadih, Banka द्वारा दिये गये दर की प्रति संचिका में संलग्न नहीं पाया गया। अतः इसका दर तुलनात्मक विवरणी से लिया गया है।

3. कार्यालय के द्वारा उक्त चयनित एन0जी0ओ0 को पत्रांक 20 दिनांक 30.01.2016 के द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया। कार्यादेश के अनुसार सर्वप्रथम दिनांक 01.02.2016 से सभी वार्डों में डोर–टू–डोर कुड़ा संग्रह का कार्य प्रारंभ करना था एवं कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर सफाई कार्य हेतु अलग से तिथि निर्धारित कर आदेश निर्गत किया जाना था।
4. तत्पश्चात कार्यालय एवं चयनित एन0जी0ओ0 जीवन ज्योति सौताडीह, बांका के बीच दिनांक 27.01.2016 को एकरारनामा किया गया। एकरारनामे के अनुसार उक्त संगठन को रू0 32682 का भुगतान प्रति माह प्रति वार्ड करना था।
5. डोर–टू–डोर कुड़ा संग्रह कार्य हेतु जीवन ज्योति सौताडीह, बांका को कार्यालय के द्वारा राशि का भुगतान निम्न प्रकार से किया गया।

क्रम सं0	मह	दर प्रति माह प्रति वार्ड	सभी कर सहित विपत्र की राशि	विपत्र की कुल राशि	आय कर की कटौती 2 %	लेबर सेस की कटौति 1%	कुल कटौती	भुगतान की गई राशि	चेक सं0	दिनांक	अभियुक्ति
1	फरवरी 2016	32682	817050	817050				317050	101058	08.03.2016	
2	टग्रिम							400000	101059	18.03.2016	
3	मार्च 2016 एवं अप्रैल 2016	32682 32682	817050 817050	1634100				1234100	224451	13.05.2016	400000 समायोजित
4	मई 2016 जून 2016	32682 32682	817050 817050	1634100				634100	698814	29.06.16	
5	जुलाई 2016 अगस्त 2016	32682 32682	817050 817050	1634100				1634100	698828	19.09.2016	
6	सितम्बर 2016 अक्टूबर 2016 नवंबर 2016	32682 32682 32682	817050 817050 817050	2451150	163410	81705	245115	2206035	698846	19.12.2016	फरवरी 2016 से नवंबर 2016 तक के विपत्र पर कटौति एक साथ की गई
7	दिसंबर 2016 जनवरी 2017 फरवरी 2017	36808.20 36808.20 36808.20	817050 817050 817050	2451150	49023	24511	73534	2377616	698868	01.03.2017	न्यूनतम मजदूरी दर में बढ़ोतरी के आधार पर प्रति माह रू0 920205 की दर से 3 माह हेतु कुल रू0 2760615 का भुगतान करने की मांग की गई।
8	मार्च 2017 अप्रैल 2017	36808.20 36808.20	817050 817050	1634100	32682	16341	49023	1585077	701211	17.05.2017	न्यूनतम मजदूरी दर में बढ़ोतरी के आधार पर प्रति माह रू0 920205 की दर से 2 माह हेतु कुल रू0 1840410 का भुगतान करने की मांग की गई।
9	मई 2017 जून 2017	38141.76 38141.76	817050 817050	1634100	32682	16340	49022	1585078	701223	08.07.2017	न्यूनतम मजदूरी दर में बढ़ोतरी के आधार पर प्रति माह रू0

											953544 की दर से माह हेतु कुल रू0 1907088 का भुगतान करने की मांग की गई।
10	जुलाई 2017 अगस्त 2017	38141.76 38141.76	953544 953544	1907088	76284	38142	114426	1792662	701254	16.10.2017	बढ़े हुए दर पर भुगतान किया गया है
11	सितम्बर 2017 अक्टूबर 2017	38627.28 38627.28	965682 965682	1931364	38627	19314	57941	1873423	701265	20.11.2017	
				17728302	392708	196353	589061	17139241			

अंकेक्षण टिप्पणी :–

1. निविदा आमंत्रण सूचना के शर्त सं0 8 के अनुसार डोर–टू–डोर कचड़ा उठाव हेतु न्यूनतम मासिक राशि का उल्लेख करना था तथा शर्त सं0 9 के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम किराया अथवा मजदूरी का वहन संस्था को करना होगा। परन्तु जीवन ज्योति सौताडीह, बांका के द्वारा डोर–टू–डोर कचड़ा उठाव हेतु प्रति वार्ड प्रति माह रू0 32682 का दर दिया गया एवं निविदा में यह शर्त रखा गया कि सरकार के द्वारा न्यूनतम मासिक/दैनिक मजदूरी में परिवर्तन होने पर राशि में परिवर्तन मान्य होगा। जबकि अन्य दो संस्थाओं के द्वारा ऐसा कोई भी शर्त अपने निविदा में नहीं दिया गया था। जीवन ज्योति सौताडीह, बांका के उक्त शर्त के आलोक में दोनों पक्षों के बीच सम्पन्न एकरारनामे में यह शर्त शामिल कर दिया गया कि सरकार के नियम के आलोक में न्यूनतम मजदूरी दर में बढ़ोतरी होने पर द्वितीय पक्ष अर्थात जीवन ज्योति सौताडीह, बांका को बढ़े हुए राशि एवं भुगतान की गयी अंतर राशि का भुगतान प्रथम पक्ष अर्थात नगर परिषद कार्यालय द्वारा करना अनिवार्य होगा। एकरारनामे का यह शर्त निविदा आमंत्रण सूचना के शर्त सं0 8 एवं 9 के विपरीत है क्योंकि कार्यालय द्वारा प्रति माह प्रति वार्ड न्यूनतम राशि कोट करने को कहा गया था एवं दूसरी ओर सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम किराया अथवा मजदूरी का वहन संस्था को करना था न कि नगर परिषद कार्यालय को। साथ ही एकरारनामे के उक्त शर्त को सशक्त स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित करने से संबंधित कोई तथ्य संचिका में अंकित नहीं है। अतः नगर परिषद कार्यालय को पूर्व निर्धारित रू0 32682 प्रति माह प्रति वार्ड की दर से राशि का भुगतान करना चाहिए था। माह फरवरी 2016 से नवम्बर 2016 तक जीवन ज्योति सौताडीह, बांका के द्वारा डोर–टू–डोर कचड़ा उठाव हेतु प्रति वार्ड प्रति माह रू0 32682 की दर से भुगतान किया गया। परन्तु न्यूनतम मजदूरी दर में बढ़ोतरी के आधार पर दिसम्बर 2016 से अप्रैल 2017 तक प्रति वार्ड प्रति माह रू0 36808.20 की दर से, मई 2017 से अगस्त 2017 तक रू0 38141.76 की दर से एवं सितम्बर 2017 से अक्टूबर 2017 तक रू0 38627.28 की दर से राशि चार्ज किया गया। इसमें से दिसम्बर 2016 से जून 2017 तक राशि का भुगतान आवंटन के अभाव में पुराने दर पर किया गया था तथा रू0 788763 का भुगतान आवंटन के अभाव में फिलहाल लंबित रखा गया था जबकि जुलाई 2017 से बढ़े हुए दर पर भुगतान किया जा रहा था जिसके फलस्वरूप अक्टूबर 2017 तक रू0 570252 का अधिक भुगतान किया जा चुका था। इसके लिए सशक्त

स्थायी समिति द्वारा निर्गत कोई आदेश लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। दिसम्बर 2016 से प्रति माह प्रति वार्ड भुगतान की दर निविदा में भाग लेने वाले अन्य दो गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा बिना शर्त दिये गये न्यूनतम दर से अधिक था। लंबित/अधिक भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्रम सं0	माह	प्रतिमाह प्रति वार्ड पूर्व निर्धारित दर	कुल राशि	प्रतिमाह प्रति वार्ड बढ़ा हुआ दर	कुल राशि	अंतर		अभियुक्ति
						दर	कुल राशि	
1	दिसम्बर 2016	32682	817050	36808.20	920205	4126.20	103155	न्यूनतम मजदूरी दर में बढ़ोतरी के आधार पर दिसम्बर 2016 से जून 2017 तक कुल रू0 788763 का अतिरिक्त रूप से भुगतान करने की मांग की गई परन्तु भुगतान लंबित है।
2	जनवरी 2017	32682	817050	36808.20	920205	4126.20	103155	
3	फरवरी 2016	32682	817050	36808.20	920205	4126.20	103155	
4	मार्च 2017	32682	817050	36808.20	920205	4126.20	103155	
5	अप्रैल 2017	32682	817050	36808.20	920205	4126.20	103155	
6	मई 2017	32682	817050	38141.76	953544	5459.76	136494	
7	जून 2017	32682	817050	38141.76	953544	5459.76	136494	
8	जुलाई 2017	32682	817050	38141.76	953544	5459.76	136494	न्यूनतम मजदूरी दर में बढ़ोतरी के आधार पर जुलाई 2017 से अक्टूबर 2017 तक कुल रू0 570252 का अतिरिक्त रूप से भुगतान कर दिया गया है।
9	अगस्त 2017	32682	817050	38141.76	953544	5459.76	136494	
10	सितम्बर 2017	32682	817050	38627.28	965682	5945.28	148632	
11	अक्टूबर 2017	32682	817050	38627.28	965682	5945.28	148632	
	कुल		8987550		10346565		1359015	

अतः न्यूनतम मजदूरी दर में बढ़ोतरी के फलस्वरूप रू0 1359015 का लंबित/अधिक भुगतान मान्य नहीं है।

6. बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की संशोधित धारा 75(छ) के अनुसार नगर परिषदों में 20 लाख रूपये से अधिक के व्यय की कोई भी संविदा नगर परिषद अर्थात बोर्ड की स्वीकृति के बिना नहीं की जा सकती है। फरवरी 2016 से अक्टूबर 2017 तक डोर–टू–डोर कुड़ा संग्रह कार्य हेतु जीवन ज्योति सौताडीह, बांका को कार्यालय के द्वारा आय कर एवं श्रम सेस की कटौति के पश्चात रू0 17139241 का भुगतान किया गया। परन्तु इस आवर्ती व्यय की स्वीकृति बोर्ड की बैठक में देने से संबंधित तथ्य का उल्लेख संचिका में कहीं नहीं था। बगैर बोर्ड की स्वीकृति के डोर–टू–डोर कुड़ा संग्रह कार्य अनियमित था।

7. बिहार वित्त नियमावली की धारा 131 (H) (v) के अनुसार Ordinarily the minimum time to be allowed for submission of bids should be **three weeks** from the date of publication of the tender notice or availability of the bidding documents for sale, whichever is later. Whereas the departments also contemplates obtaining bids from abroad the minimum period should be kept as four weeks for both domestic and foreign bidders. परन्तु संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि निविदा दैनिक समाचार पत्र में 02.01.16 को निकाली गयी जिसमें निविदा डालने का अंतिम समय 18.01.2016 था जो तीन सप्ताह से कम था। नियमावली का पालन नहीं करने के कारण स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का स्पष्ट अभाव पाया गया।

8. संचिका में संलग्न तकनीकी बीड के तुलनात्मक विवरणी पर सिर्फ कार्यपालक पदाधिकारी एवं मुख्य पार्षद का हस्ताक्षर था। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि तीनों बीड खोलते समय हस्ताक्षरित व्यक्ति के आलावे कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित नहीं थे। कोटेशनों को सशक्त स्थायी समिति के समक्ष खोले जाने का प्रमाण भी संबंधित संचिका में नहीं पाया गया। यह बिहार वित्त नियमावली में उल्लखित प्रावाधानों का स्पष्ट उल्लधंन है।

9. निविदा आमंत्रण सूचना के शर्त सं0 14 अनुसार डोर–टू–डोर कचड़ा उठाव हेतु प्रति वार्ड न्यूनतम 3 सफाई कर्मी उपलब्ध कराना था। नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत कुल 25 वार्ड हैं। इस प्रकार न्यूनतम 75 सफाई कर्मियों की आवश्यकता थी। जीवन ज्योति सौताडीह, बांका के लेबर लाईसेंस के अवलोकन से पता चला कि इस एन0जी0ओ0 को मात्र 20 मजदूरों को नियोजित करने का लाईसेंस प्राप्त था। इस संस्था का चयन किया जाना नियमानुसार नहीं था।

10. उक्त संस्था के पास अपेक्षित मानव संसाधन एवं तकनीकी संसाधन जैसे ट्रैक्टर, टिपर आदि हैं कि नहीं, इसके लिए तकनिकी बीड भी आमंत्रित की जानी चाहिए थी। इसके बगैर कार्यालय द्वारा यह कैसे मान लिया गया कि उक्त संस्था नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत डोर–टू–डोर कचड़ा संग्रह का कार्य सफलतापूर्वक कर सकती है।

11. जीवन ज्योति सौताडीह, बांका के साथ किए गये एकरारनामे में एकरारनामे की अवधि अंकित नहीं थी। लेखापरीक्षा को इस तथ्य से अवगत नहीं कराया गया कि उक्त एकरानामा कितनी अवधि के लिए किया गया था तथा इसका उल्लेख एकरारनामे में क्यों नहीं किया गया है।

12. कार्यादेश के अनुसार प्रत्येक माह कार्य समाप्ति के पश्चात सफाई निरीक्षक के अनुशंसा के पश्चात अभिश्रव का भुगतान किया जाना था। सफाई निरीक्षक द्वारा अभिश्रवों पर मात्र कार्य के संतोषजनक होने की बात अंकित करते हुए भुगतान की अनुशंसा की गई थी जिसके आधार पर अक्टूबर 2017 तक रू0 17139241 भुगतान कर दिया गया था। प्रति माह प्रति वार्ड कितने दिन डोर–टू–डोर कचड़ा का उठाव किया गया, इसके संबंध में सफाई निरीक्षक द्वारा कुछ भी नहीं अंकित किया गया था। इस संबंध में सभी वार्ड पार्षदों से कचड़ा उठाव को प्रमाण पत्र माहवार लिया जाना चाहिए था। संस्था द्वारा भी भुगतान हेतु प्रति माह समर्पित अभिश्रवों के साथ इस संबंध में कोई दस्तावेज/प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया था। इसके बगैर उक्त संस्था को अक्टूबर 2017 तक रू0 17139241 का भुगतान करना अप्रत्यक्ष रूप से उक्त संस्था को लाभ पहुंचाने का प्रयास को प्रदर्शित करता है।

13. निविदा आमंत्रण सूचना के शर्त सं0 9 के अनुसार नगर परिषद में उपलब्ध उपस्करों एवं मानव बल का उपयोग करना अनिवार्य था। तदनुसार उक्त संस्था द्वारा नगर परिषद में उपलब्ध कितने उपस्करों एवं मानव बल का उपयोग किया गया है, इसकी माहवार सूची बनाकर लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। कार्यालय के मजदूरों एवं संस्था द्वारा कार्य कराये गये सभी मजदूरों (कार्यालय के मजदूरों सहित) की उपस्थिति पंजी, कितने मजदूरों को किस–किस वार्ड में

किस–किस तिथि को लगाया गया आदि से संबंधित मस्टर रॉल, दस्तावेज आदि लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।

14. उक्त संस्था का रक्सौल स्थित कार्यालय का पता, इसमें कार्यरत कर्मियों की विस्तृत विवरणी, क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों की विस्तृत विवरणी लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।

15. एकरारनामे की शर्त सं0 4 के अनुसार द्वितीय पक्ष अर्थात जीवन ज्योति सौताडीह, बांका को नगर परिषद को प्राप्त होने वाली डोर–टू–डोर कचड़ा संग्रह संबंधी शिकायतों का निवारण प्रतिदिन करना था। इसके लिए एक व्यक्ति को कार्यालय अवधि में कार्यालय में उपस्थित रखना था। नगर परिषद को प्राप्त शिकायतों एवं इनके निवारण से संबंधित पंजी/आवेदन/अन्य दस्तावेज तथा शिकायतों के निवारण हेतु कार्यालय में उपस्थित कर्मी की फरवरी 2016 से अब तक की उपस्थिती पंजी लेखापरीक्षा में जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया।

16. फरवरी 2016 से जून 2016 तक, सितम्बर 2016 से अगस्त 2017 तक के अभिश्रवों को पारित किए बगैर भुगतान किया गया था।

17. बिहार कोषागार संहिता के अनुसार केवल सरकारी कर्मचारियों को विभागीय प्रयोजन के लिए अस्थाई अग्रिम दी जाती है। अतः किस आधार पर एक गैर सरकारी संस्था को रू0 400000 का अग्रिम चेक सं0 101059 दिनांक 18.03.2016 के द्वारा दिया गया।

18. प्रत्येक वार्ड से कुड़ा उठाकर कहां गिराया जाता है, इसके संबंध में कोई सूचना संचिका मे नहीं पाया गया। संचिका के अवलोकन से यह स्पष्ट पता चलता है कि संस्थ के चयन के समय कार्यालय द्वारा यह अनुमान कभी भी नहीं लगाया गया कि नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत प्रति दिन कितना कुड़ा निकलता है। बिना अनुमान के जीवन ज्योति सौताडीह संस्था का नगर परिषद क्षेत्र में कुड़ा उठाव का कार्य सफलतापूर्वक कर सकना संदेहास्पद था।

19. नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं संचालन) नियमावली, 2000 के अनुसूची–।।। (नियम 6(1) तथा (3), 7(3)) के अनुसार कुड़ा संग्रहण केन्द्र पर निम्नलिखित सुविधाओं का प्रावधान किया जाना है:–

क. कुड़ा संग्रह केन्द्र का घेराव करना तथा वाहनों के जाने के लिए गेट का निर्माण करना।

ख. कुड़ा संग्रह केन्द्र में अप्राधिकृत व्यक्तियों तथा घुमक्कड़ पशुओं के प्रवेश पर रोक के उपाय करना।

ग. कुड़ा संग्रह केन्द्र के निरिक्षण, अभिलेखों तथा प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित औजारों/संयंत्रों के रख–रखाव हेतु कार्यालय का निर्माण।

घ. कुड़े को तौलने के लिए धर्म कांटा (weigh bridge) का व्यवस्था कुड़ा संग्रह केन्द्र पर करना, अग्निशमन औजारों तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करना।

ड. कुड़ा संग्रह केन्द्र पर पेय जल तथा प्रकाश की व्यवस्था जिसमें रात्री में कार्य करने में कर्मियों को सुविधा हो।

च. कामगारों के स्वास्थ्य की आवधिक जांच के साथ ही सुरक्षा संबंधी प्रावधान।

नगर परिषद द्वारा नियमानुसार उक्त सुविधाओं का प्रावधान नहीं किया गया था।

नगर परिषद, रक्सौल द्वारा उक्त आपतियों के जवाब में बताया गया कि

1.) डोर टू डोर कूड़ा उठाव का भुगतान प्रति वार्ड के विरूद्ध किया जा रहा है। परन्तु, संस्था जीवन ज्योति सौताडीह, बांका द्वारा इस कार्य के लिए प्रति वार्ड – 03 मजदूर लगाये गये है। इसके आलावे ड्राइवर, सुपरवाईजर आदि की भी सेवाएँ ली जा रही हैं। उनके द्वारा समर्पि बिल उपयोग में लाये गये मानव बल एवं संसाधन के विरूद्ध किया जाता है। इस कारणवश सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में न्यूनतम मजदूरी दर पर भुगतान किया जाता है तथा तद्नुसार बढ़ोतरी होने पर बकाया का भुगतान किया जाता है। यह एकरारनामा के शर्तों के अधीन है। अतः बकाया भुगतान मान्य है एवं अधिक भुगतान नहीं है।

2.) डोर टू डोर कूड़ा उठाव का कार्य बोर्ड की स्वीकृति के आलोक में किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

3.) डोर टू डोर कूड़ा संग्रह का कार्य सफाई व्यवस्था मद की प्राप्त राशि एवं अपने आंतरिक संसाधन से किया जाता है।

4.) बिहार वित्त नियमावली की धारा के आलोक में निविदा प्रकाशन के उपरान्त तीन सप्ताह का समय दिया जाएगा।

5.) सशक्त स्थायी समिति का हस्ताक्षर मौजूद है। (छायाप्रति संलग्न)

6.) जीवन ज्योति, सौताडीह, बांका का चयन की अभिरूची की प्रक्रिया के तहत न्यूनतम कोटेशन के आधार पर किया गया है।

7.) संस्था के पास स्वयं का ट्रैक्टर, टीपर आदि मौजूद है। जैसा कि प्रारंभिक कोटेशन में वर्णित किया गया है। इसके आलावा शर्तों के अनुसार न0 प0 के मानव बल/संसाधनों का उपयोग शुल्क भुगतान के विरूद्ध भी किया जा सकता है।

8.) संस्था से एकरारनामा की प्रारंभिक अवधि 1 साल की कार्य की गुणवता के अनुसार अवधि की विस्तार की गई।

9.) कचरा उठाव का गुणवता से संबंधित प्रमाण पत्र वार्ड पार्षदों से लिखित रूप से लिया गया।

10.) संस्था द्वारा अभी तक मानव बल/संसाधन का उपयोग नहीं किया गया है।

11.) एन0जी0ओ0 कार्यालय का पता नगर परिषद् कार्यालय के पिछे, वार्ड–23 जिसमें लगभग 4 + 1 कर्मी कार्यरत हैं।

12.) शिकायम पेटी का संधारण किया गया। वर्तमान में इससे संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं है।

13.) वर्णित अवधि का अभिश्रव परित करा लिया जाएगा।

14.) पर्व के प्रयोजनार्थ वृहत रूप से सफाई कार्य कराना था जिसके लिए जीवन ज्योति, संस्थ के मजदूरों को ससमय भुगतान किया जाना अनिवार्य था। अतः मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए अग्रिम की राशि दी गई थी जिसका समायोजन उनके विपत्र से कर लिया गया है।

15.) एन0जी0ओ0 सौताडीह के द्वारा कचरा का निस्तारण लैण्ड साइड फील्ड हेतु नगर परिषद् के द्वारा खरीद की जमीन पर किया जाता है।

16.) दिशानिर्देश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि नगर परिषद, रक्सौल द्वारा डोर–टू–डोर कचड़ा उठाव में अनियमितता व्याप्त है। बोर्ड से संस्वकृति एवं सशक्त स्थायी समिति का हस्ताक्षर होने से संबंधित छाया प्रति उपलब्ध नहीं करायी गई।

कचड़ा उठाव कार्य के गुणवतापूर्ण होने से संबंधित पार्षदों के प्रतिवेदनों को अगले लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराया जाय।

कंडिका 9. नाला उड़ाही का कार्य संदेहास्पद/अनियमित रू0 6.95 लाख

गैर सरकारी संगठन जीवन ज्योति सौताडीह, बांका के द्वारा दिनांक 01.05.2016 से दिनांक 30.06.2016 तक नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत नालों की उड़ाही का कार्य किया गया जिसके लिए उसे चेक सं0 181729 दिनांक 04.05.2017 के द्वारा रू0 695094 का भुगतान किया गया। इस कार्य के कार्यान्वयन में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं:–

1. केन्द्र या राज्य सरकार या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के तहत गठित कोई सोसायटी अगर किसी व्यक्ति या संस्था को यात्री या सामान ढोने के लिए राशि का भुगतान करता है तो आयकर अधिनियम–1961 की धारा 194 के तहत निहित प्रावधानो के अनुसार आयकर की कटौती करने के बाद ही अन्तिम भुगतान किया जायगा। अगर पैन संख्या यात्री या सामान ढोने वाले व्यक्ति के नाम पर निर्गत है तो कुल भुगतान का 1 प्रतिशत, अगर संस्था के नाम पर निर्गत है तो 2 प्रतिशत परन्तु उस व्यक्ति या संस्था ने कांट्रैक्ट के समय या भुगतान के पहले पैन संख्या कार्यालय को समर्पित नहीं किया है तो कुल भुगतान का 20 प्रतिशत कटौती करने के बाद ही अंतिम भुगतान किया जाना चाहिए। जीवन ज्योति सौताडीह एक गैर सरकारी संस्था है। इसने रक्सौल नगर परिषद् में सफाई कार्य किया एवं रू0 695094 का भुगतान प्राप्त किया। अतः उक्त अधिनियम के आधार पर अंतिम भुगतान से पहले 2 प्रतिशत की राशि की कटौती करके ही भुगतान किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। इस प्रकार राशि रू. 13901.88/– का अधिक भुगतान किया गया। (695094 का 2 प्रतिशत)
2. डोर–टू–डोर कचड़ा संग्रहण से संबधित संचिका के अवलोकन में यह तथ्य प्रकाश में आया कि नगर परिषद, रक्सौल अंतर्गत सभी 25 वार्डों में ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के तहत डोर–टू–डोर कचरा संग्रहण एवं सफाई व्यवस्था के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं से अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना का प्रकाशन दैनिक समाचर पत्र प्रभात

खबर एवं दैनिक जागरण में दिनांक 02.01.2016 को किया गया। निविदा के आलोक में तीन निविदादाताओं ने निविदा डाली। तीनों निविदादाताओं की तुलनात्मक विवरणी दिनांक 18.01.2016 को तैयार की गई एवं निम्न दर समर्पित करने वाले एन0जी0ओ0 जीवन ज्योति सौताडीह, बांका का चयन डोर–टू–डोर कचरा संग्रहण एवं सफाई व्यवस्था के लिए किया गया। कार्यालय के द्वारा उक्त चयनित एन0जी0ओ0 को पत्रांक 20 दिनांक 30.01.2016 के द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया। कार्यादेश के अनुसार सर्वप्रथम दिनांक 01.02.2016 से सभी वार्डों में डोर–टू–डोर कुड़ा संग्रह का कार्य प्रारंभ करना था एवं कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर सफाई कार्य हेतु अलग से तिथि निर्धारित कर आदेश निर्गत किया जाना था। परन्तु टिप्पणी पृष्ठ सं0 4 के अनुसार सभापति महोदया की सहमति के आधार पर उक्त संस्था को नाला उड़ाही कार्य का आदेश निर्गत करने का आदेश कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा दिनांक 30.05.2016 को दिया गया। परन्तु उक्त संस्था को निर्गत कार्यादेश संचिका में संलग्न नहीं पाया गया। इस संबंध में उक्त संस्था से किए गये एकरारनामा की प्रति और न हीं सशक्त स्थायी समिति का अनुमोदन संचिका में पाया गया। इस प्रकार मात्र सभापति महोदया की सहमति के आधार पर उक्त संस्था को नाला उड़ाही का कार्य सौंप दिया गया और इसके लिए उसे रू0 695094 का भुगतान कर दिया गया।

3. नाला उड़ाही का संलग्न मस्टर रॉल दिनांक 01.05.2016 से दिनांक 30.06.2016 की अवधि का है जबकि इस कार्य का आदेश निर्गत करने हेतु दिनांक 30.05.2016 को कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा आदेश दिया गया तथा टिप्पणी पृष्ठ सं0 4 के अनुसार उस तिथि तक नाला उड़ाही का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ था। अतः आदेश निर्गत होने के पूर्व दिनाक 01.05.2016 की तिथि से नाला उड़ाही का कार्य मस्टर रॉल में दिखाना उक्त कार्य को संदेहास्पद बनाता है। इसके अतिरिक्त मस्टर रॉल में जिन तिथियों को Sunday अंकित किया गया है उस तिथि को कैलेंडर के अनुसार वास्तव में Saturday है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि मस्टर रॉल संदेहास्पद है।
4. डोर–टू–डोर कचड़ा संग्रहण एवं सफाई कार्य हेतु संस्था द्वारा दिये गये कार्य योजना में मजदूर एवं मेठ की दैनिक मजदूरी रू0 197 एवं रू0 207 है एवं इसी दर पर माह मई एवं जुन 2016 का भुगतान उक्त संस्था द्वारा लिया गया था। जबकि दूसरी ओर इसी संस्था का माह मई एवं जुन 2016 में ही नाला उड़ाही कार्य में मजदूर एवं मेठ की दैनिक मजदूरी रू0 194 एवं रू0 216 थी जो मस्टर रॉल में अंकित थी। इस प्रकार एक ही संस्था द्वारा समान समय में अलग–अलग दर से मजदूरी का भुगतान लिया गया था। इस तथ्य से भी स्पष्ट होता है कि मस्टर रॉल संदेहास्पद है। मजदूरी दर में अंतर के कारणों से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।
5. नालों की उड़ाही हेतु लगाये गये मजदूरों की संख्या 72 थी जबकि जीवन ज्योति सौताडीह, बांका के लेबर लाईसेंस के अवलोकन से पता चला कि इस एन0जी0ओ0 को मात्र 20 मजदूरों को नियोजित करने का लाईसेंस प्राप्त था।